



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 मार्च, 2026

फाल्गुन 15, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4

संख्या 418/81-4-2026

लखनऊ, 6 मार्च, 2026

अधिसूचना

प0आ0-113

आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्धन) नियम, 2017 के नियम 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप जनसामान्य की सूचना के लिए तथा उक्त नियम के नियम 7 के उपनियम (3) के अधीन यथाअपेक्षित उसके सम्बंध में आपत्तियां आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैं;

प्रस्तावित अधिसूचना के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति हो तो उसे प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित कर लिखित रूप में भेजा जाएगा;

केवल उन्हीं आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से 60 दिन के भीतर प्राप्त हों।

प्रारूप अधिसूचना

चूंकि, रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी स्थित 26.067 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले बनगावां तालाब आर्द्रभूमि के नाम से एक जल निकाय विद्यमान है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे अनुसूचियों में दिया गया है, जिसे स्थानीय समुदायों और समग्र समाज के लिए अपनी पारिस्थितिकी सेवाओं और जैव विविधता मूल्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है;

और, चूंकि, पूर्वोक्त जल निकाय हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है; यह जल भंडारण, जल शोधन, बाढ़ शमन, कटाव नियंत्रण, जलभृत पुनर्भरण, सूक्ष्म जलवायु विनियमन, परिदृश्यों के सौंदर्य संवर्धन जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है और पर्यावरण संरक्षण, पर्याप्त वनस्पतियों और जीवों, पारिस्थितिकी, परिदृश्य और मानवीय मूल्यों के संवर्धन और विकास के लिए महत्वपूर्ण है;

अतएव, अब, आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबन्धन) नियम, 2017 के नियम 7 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल बनगावां तालाब आर्द्रभूमि क्षेत्र को आर्द्रभूमि घोषित करते हैं, जिसे बनगावां तालाब आर्द्रभूमि जिला बाराबंकी के नाम से जाना जाएगा।

बनगावां तालाब आर्द्रभूमि के अधीन सम्मिलित क्षेत्र की सीमा एवं विवरण इस अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लिखित है।

बनगावां तालाब आर्द्रभूमि के प्रभाव क्षेत्र का विस्तृत विवरण इस अधिसूचना की अनुसूची-दो में उल्लिखित है।

बनगावां तालाब आर्द्रभूमि एवं इसके प्रभाव क्षेत्र में प्रतिसिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का विवरण इस अधिसूचना की अनुसूची-तीन में उल्लिखित है।

बनगावां तालाब आर्द्रभूमि और इसके प्रभाव क्षेत्र में अनुज्ञात क्रियाकलापों का विवरण इस अधिसूचना की अनुसूची-चार में उल्लिखित है।

अनुसूची-एक

बनगावां तालाब आर्द्रभूमि की सीमा

उत्तर — आबादी भूमि

पूरब — सड़क व कृषि भूमि

दक्षिण — कृषि भूमि

पश्चिम — कृषि भूमि

बनगावां तालाब आर्द्रभूमि, जिला बाराबंकी का क्षेत्रफल 26.067 हेक्टेयर है जिसके स्वामित्व क्षेत्र का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

खतौनी मौजा-बनगावां, परगना-दरियाबाद, तहसील-रामसनेहीघाट, जिला-बाराबंकी

वर्ष 1425-1430 फसली

खातेदार का नाम	खाता संख्या	नाम कास्तकार बकैद वल्लिदयत व कौमियत व सकूमत	मुददत काश्त	संख्या खेत मुताबिक खसरा	रकबा बाहिसाब बंदोबस्त (हेक्टेयर में)		लगान	कैफियत
					मजरुआ	गैर मजरुआ		
तालाब	00793	जलमग्न		966 मि0		4.5620		
				1025 ग		5.2060		
				1288		3.3990		
				1463		12.2420		
				1025 क		0.2530		
				1025 ख		0.4050		
योग						26.067		

अनुसूची-दो

बनगावां तालाब आर्द्रभूमि, जिला बाराबंकी के प्रभाव क्षेत्र (जोन ऑफ इन्फ्लूएंस) का विवरण

क्रम संख्या	बनगावां तालाब आर्द्रभूमि की सीमा के निर्देशांक		बनगावां तालाब आर्द्रभूमि के प्रभाव क्षेत्र (जोन ऑफ इन्फ्लूएंस) के निर्देशांक		बनगावां तालाब आर्द्रभूमि एवं प्रभाव क्षेत्र (जोन ऑफ इन्फ्लूएंस) के मध्य की दूरी (मीटर में)
	अक्षांश	देशान्तर	अक्षांश	देशान्तर	
1	26°55' 32.497" N	81°32' 46.432" E	26°55' 34.045" N	81°32' 45.879" E	50.00
2	26°55' 32.258" N	81°32' 56.009" E	26°55' 33.853" N	81°32' 56.356" E	50.00
3	26° 55' 29.076" N	81° 33' 4.006" E	26° 55' 30.253" N	81° 33' 5.256" E	50.00
4	26° 55' 17.704" N	81° 33' 17.323" E	26° 55' 18.102" N	81°33' 19.081" E	50.00

क्रम संख्या	बनगावां तालाब आर्द्रभूमि की सीमा के निर्देशांक		बनगावां तालाब आर्द्रभूमि के प्रभाव क्षेत्र (जोन ऑफ इन्फ्लूएंस) के निर्देशांक		बनगावां तालाब आर्द्रभूमि एवं प्रभाव क्षेत्र (जोन ऑफ इन्फ्लूएंस) के मध्य की दूरी (मीटर में)
	अक्षांश	देशान्तर	अक्षांश	देशान्तर	
5	26° 55' 12.564" N	81° 33' 15.385" E	26° 55' 11.091" N	81° 33' 16.150" E	50.00
6	26° 55' 14.578" N	81° 33' 6.323" E	26° 55' 13.330" N	81° 33' 5.161" E	50.00
7	26° 55' 19.759" N	81° 33' 3.400" E	26° 55' 18.732" N	81° 33' 1.948" E	50.00
8	26° 55' 24.078" N	81° 32' 57.721" E	26° 55' 22.586" N	81° 32' 56.881" E	50.00
9	26° 55' 25.011" N	81° 32' 53.297" E	26° 55' 23.339" N	81° 32' 53.309" E	50.00
10	26° 55' 23.906" N	81° 32' 48.358" E	26° 55' 22.425" N	81° 32' 49.225" E	50.00
11	26° 55' 22.304" N	81° 32' 46.330" E	26° 55' 21.399" N	81° 32' 47.926" E	50.00
12	26° 55' 17.148" N	81° 32' 44.673" E	26° 55' 15.551" N	81° 32' 45.005" E	50.00
13	26° 55' 18.165" N	81° 32' 43.410" E	26° 55' 17.388" N	81° 32' 41.817" E	50.00
14	26° 55' 21.279" N	81° 32' 43.390" E	26° 55' 21.162" N	81° 32' 41.578" E	50.00
15	26° 55' 27.256" N	81° 32' 42.463" E	26° 55' 27.263" N	81° 32' 40.650" E	50.00
16	26° 55' 30.278" N	81° 32' 43.825" E	26° 55' 31.238" N	81° 32' 42.362" E	50.00

बनगावां तालाब आर्द्रभूमि में जल का स्रोत वर्षा जल तथा भू-गर्भ जल है।

अनुसूची-तीन

बनगावां तालाब आर्द्रभूमि, बाराबंकी और इसके प्रभाव क्षेत्र में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का विवरण

प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप:-

- 1- किसी भी प्रकार के अतिक्रमण सहित गैर-आर्द्रभूमि उपयोगों के लिए संपरिवर्तन।
- 2- नए उद्योगों की स्थापना/विद्यमान उद्योगों का विस्तार।
- 3- परिसंकटमय पदार्थों/निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और निपटान।
- 4- ठोस अपशिष्ट पाटन।
- 5- अशोधित मलजल/औद्योगिक बहिःस्राव/अपशिष्ट जल के लिए निमग्न।
- 6- निर्माण क्रियाकलाप (नाव घाटों को छोड़कर)।
- 7- प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य गैर-जैव-अपघटनीय अपशिष्ट प्रदूषण।

विनियमित क्रियाकलाप:-

- 1- जल निष्कासन/अवरोध/मोड़ या कोई अन्य जल विज्ञान हस्तक्षेप।
- 2- संसाधनों (जीवित/अजीवित) की कटाई।
- 3- चराई।
- 4- नाव घाटों का निर्माण और अस्थाई उपयोग के लिये सुविधाएं, जैसे कि पीपापुल।
- 5- आर्द्रभूमि सीमाओं के भीतर जलीय कृषि क्रियाकलाप।
- 6- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन तैयार प्रचलित महायोजना के अधीन प्रस्तावित सड़क तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं उनके द्वारा गठित प्राधिकरणों/स्थानीय निकायों के अधीन निर्माण क्रियाकलापों सहित परियोजना।

- 7- आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले समस्त क्रियाकलाप।

नोट: इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन से पूर्व किये गये निर्माण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आर्द्रभूमि के भीतर तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित क्रियाकलापों की अनुज्ञा जब कभी अपेक्षित हो, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा जिला आर्द्रभूमि समिति की संस्तुति पर दी जा सकेगी।

अनुसूची-चार

**बनगावां तालाब आर्द्रभूमि, जिला बाराबंकी और इसके प्रभाव क्षेत्र में अनुज्ञात
क्रियाकलापों का विवरण**

अनुसूची-तीन में वर्णित क्रियाकलापों के सिवाय समस्त क्रियाकलाप जो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 का उल्लंघन नहीं करते हैं ।

आज्ञा से,
वी० हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव ।

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 418/LXXXI-4-2026 dated March 6, 2026 :

No. 418/LXXXI-4-2026

Dated Lucknow, March 6, 2026

The following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under rule 7 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, is hereby published for the information of the general public and with a view of inviting objections in respect thereof as required under sub-rule (3) of rule 7 of the said rules;

Objections, if any, with respect to the proposed notification shall be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Environment, Forest and Climate Change Section 4, Uttar Pradesh Shasan, Bapu Bhawan, Lucknow;

Only such objections shall be taken into consideration as received within 60 days from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*.

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS there exists a water body known as Banganwa Talab is measuring an area of 26.067 hectares situated in Tehsil Ramsanehighat, District Barabanki, detailed description whereof is given in the Schedules below, which is considered to be critically significant for its ecosystem services and biodiversity values for the local communities and society at large;

AND, WHEREAS, the aforesaid water body is a part of our cultural heritage; provides a wide range of ecosystem services such as water storage, water purification, flood mitigation, erosion control, aquifer recharge, micro climate regulation, aesthetic enhancement of landscapes; and is important for environmental conservation, enrichment and development of adequate flora and fauna, ecology, landscape and humanitarian values;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-rule (3) of rule 7 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, the Governor is pleased to declare the area of Banganwa Talab as wetland which will be known as Banganwa Talab Wetland, District Barabanki.

The boundary and description of the area included under the Banganwa Talab Wetland is mentioned in Schedule-I of this notification.

Details of the zone of influence of the Banganwa Talab Wetland are mentioned in Schedule-II of this notification.

Description of prohibited and regulated activities in Banganwa Talab Wetland and its zone of influence are mentioned in Schedule-III of this notification.

Description of permitted activities in Banganwa Talab Wetland and its zone of influence are mentioned in Schedule-IV of this notification.

SCHEDULE-I

Boundary of Banganwa Talab Wetland—

North	- Populated Land
East	- Roads and Agriculture Land
South	- Agriculture Land
West	- Agriculture Land

The area of Banganwa Talab Wetland, District Barabanki is 26.067 hectares and the details of its ownership are as under :—

Khatauni Mauza- Banganwa, Pargana-Daryabad, Tehsil-Ramsanehighat, District-Barabanki
Year 1425-1430 Fasli

Name of Khatedar	Khata no.	Name Kashtkar Bakad Waldiat & Kaumiyat and Sakumat	Muddat Kasht	Number Khet Mutabik - khasra	Rakba bahisab bandobast in hectare		Lagan	Kaifiyat
					Majarua	Gair Majarua		
Talab	00793	Jalmagn		966Mee		4.5620		
				1025 Ga		5.2060		
				1288		3.3990		
				1463		12.2420		
				1025Ka		0.2530		
				1025Kha		0.4050		
Total						26.067		

SCHEDULE-II

Detail of Zone of Influence (ZOI) of Banganwa Talab Wetland, District Barabanki

Sl. no.	Co-ordinates of boundary of Banganwa Talab Wetland		Co-ordinates of ZOI of Banganwa Talab Wetland		Distance Between Banganwa Talab Wetland and ZOI (in Mtr.)
	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
1	26°55' 32.497" N	81°32' 46.432" E	26°55' 34.045" N	81°32' 45.879" E	50.00
2	26°55' 32.258" N	81°32' 56.009" E	26°55' 33.853" N	81°32' 56.356" E	50.00
3	26° 55' 29.076" N	81° 33' 4.006" E	26° 55' 30.253" N	81° 33' 5.256" E	50.00
4	26° 55' 17.704" N	81° 33' 17.323" E	26° 55' 18.102" N	81°33' 19.081" E	50.00
5	26° 55' 12.564" N	81° 33' 15.385" E	26° 55' 11.091" N	81°33' 16.150" E	50.00
6	26° 55' 14.578" N	81° 33' 6.323" E	26° 55' 13.330" N	81° 33' 5.161" E	50.00
7	26° 55' 19.759" N	81° 33' 3.400" E	26° 55' 18.732" N	81° 33' 1.948" E	50.00
8	26° 55' 24.078" N	81° 32' 57.721" E	26° 55' 22.586" N	81°32' 56.881" E	50.00
9	26° 55' 25.011" N	81° 32' 53.297" E	26° 55' 23.339" N	81°32' 53.309" E	50.00
10	26° 55' 23.906" N	81° 32' 48.358" E	26° 55' 22.425" N	81°32' 49.225" E	50.00
11	26° 55' 22.304" N	81° 32' 46.330" E	26° 55' 21.399" N	81°32' 47.926" E	50.00
12	26° 55' 17.148" N	81° 32' 44.673" E	26° 55' 15.551" N	81°32' 45.005" E	50.00
13	26° 55' 18.165" N	81° 32' 43.410" E	26° 55' 17.388" N	81°32' 41.817" E	50.00
14	26° 55' 21.279" N	81° 32' 43.390" E	26° 55' 21.162" N	81°32' 41.578" E	50.00
15	26° 55' 27.256" N	81° 32' 42.463" E	26° 55' 27.263" N	81°32' 40.650" E	50.00
16	26° 55' 30.278" N	81° 32' 43.825" E	26° 55' 31.238" N	81°32' 42.362" E	50.00

The sources of water in Banganwa Talab Wetland are rainwater and underground water.

SCHEDULE-III

**Description of Prohibited and Regulated activities in BanganwaTalab Wetland
District Barabanki and its Zone of Influence**

Prohibited activities:—

1. Conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind.
2. Setting up new industries/expansion of existing industries.
3. Manufacturing, handling, storage and disposal of hazardous substance/construction and demolition waste.
4. Solid Waste dumping.
5. Sink for untreated sewage/industrial effluent/waste water.
6. Construction activities (except boat jetties).
7. Plastic, polythene and other non bio-degradable waste pollution.

Regulated activities:—

1. Withdrawal of water/impoundment/diversion or any other hydrological intervention.
2. Harvesting of resources (living/non-living).
3. Grazing.
4. Construction of boat jetties and facilities for temporary use, such as pontoon bridges.
5. Aquaculture activities within the wetland boundaries.
6. Road proposed under prevalent master plan prepared under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 and project including construction activities under Central Government, State Government and Authorities/ Local bodies constituted by them.
7. All activities having adverse effect on the wetland ecosystem.

NOTE: There will be no adverse effect on construction done before final publication of this notification.

Permission for regulated activities within the wetland and within its Zone of Influence may be granted by the Uttar Pradesh State Wetland Authority on the recommendation of District Wetland Committee as and when required.

SCHEDULE-IV

**Description of permitted activities in BanganwaTalab Wetland
District Barabanki and its Zone of Influence**

All activities, except those described in Schedule-III, which are not in contravention of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.